

फर्द अडकाम

नोरत सिंह

सनाम

राज0 सरकार

दफ्तर का नाम- उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
सं0 11/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.01.2025	<p>अधिवक्ता श्री बबलु कुमावत द्वारा वाद यावत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.02.2025 को पेश हो।</p> <p><i>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</i></p>	
12/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य का स्थानान्तरण हो गया। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/2/25 को पेश हो।</p>	
28/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य का स्थानान्तरण हो गया। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/3/25 को पेश हो।</p>	
13/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य का स्थानान्तरण हो गया। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/4/25 को पेश हो।</p>	
16.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता दायरपत्रित। वादीगण को भ्रातृ न्यायालय में धुपक-धुपक समझ पर तीन-तीन बार आवाजे लगायी गयी। साक्षुद आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादीगण के न्यायालय में हजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश न निष्पन्न हुआ। अतः तहत अदम होजरी व अदम पैरवी में सारिफ की जाती है। पत्रावली फिलहाल खुमर होकर नंबर से कम होकर दायरिफ अन्तर्गत है।</p> <p><i>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</i></p>	